

ଓଷ୍ଟ୍ରାଲିଆ ଶିକ୍ଷିତ ଯନ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯୋଗ୍ୟ
ଫିଲିପ୍ପାଇନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଶିକ୍ଷିତ। ଶିକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ (ଫିଲିପ୍ପାଇନ୍ସ
ଶିକ୍ଷିତ) ଫିଲିପ୍ପାଇନ୍ସ?

ପୃଥିବୀ ପର ଉପଦ୍ରବ କା ଇରାଦା ରଖିବା ଲୋକ ଚାହୁଁବା ଓ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା କି ଲିଏ ସୀମାଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କି ଗର୍ଇ
ହୁଁ। ଇସକି ଦଲିଲ ଯହ ହୁଁ କି ଭୁଲ୍ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା କି କାରଣ ଚୋରି କରିବା ଯା ଗଲତୀ ସେ ହତ୍ୟା
କରିବା କି ମାମଲୋଁ ମେଁ ଇସେ ଲାଗୁ ନହିଁ କିଆ ଜାତା। ହୁଦୁଦ ନାବାଲିଗ, ପାଗଲ ଯା ମାନସିକ ରୂପ ସେ ବୀମାର
ବ୍ୟକ୍ତି ପର ଲାଗୁ ନହିଁ ହୋତୀ ହୁଁ। ଯହ ମୁଖ୍ୟ ରୂପ ସେ ସମାଜ କି ରକ୍ଷା କି ଲିଏ ହୁଁ। ଜହାଁ ତକ ଇସକି ସକ୍ଷ୍ଟ
ହୋବା କି ବାତ ହୁଁ, ତୋ ଯହ ମି ସମାଜ କି ହିତ ମେଁ ହୁଁ। ଇସସେ ସମାଜ କି ଲୋଗୋଁ କୋ ଖୁଶ ହୋବା ଚାହିଏ। ଇନ
(ଦଣ୍ଡୋଁ) କା ଅସ୍ତିତ୍ବ ଲୋଗୋଁ କି ଲିଏ ରହମତ ହୁଁ, ଜିସସେ ଉନକୋ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋତୀ ହୁଁ। କିଏଲ ଅପରାଧି,
ଡାକ୍ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋଗ ହି ଇନ ଦଣ୍ଡୋଁ ପର ଆପତ୍ତି କରୁଁଗେ, କିଏକି ଉନକୋ ଅପନି ଜାନ କା ଖତରା ହୁଁ। ଇନମେଁ ସେ
କିଏଲ୍ ହୁଦୁଦ ତୋ ମାନବ ନିର୍ମିତ କାନୁନୋଁ ମେଁ ମୌଜୁଦ ହୁଁ, ଜିଏସା କି ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି।

ଜୋ ଲୋଗ ଇନ ଦଣ୍ଡୋଁ କି ବାରେ ମେଁ ବୁରା-ଭଲା କହତେ ହୁଁ, ସେ ଅପରାଧି କି ହିତ କି ବାରେ ମେଁ ସୋଚତେ ହୁଁ ଓ ସମାଜ କି
ହିତ କୋ ଭୁଲ ଜାତେ ହୁଁ। ସେ ଅପରାଧି ପର ଦୟା କରତେ ହୁଁ ଓ ଲିଝିତ କି ଉପେକ୍ଷା କରତେ ହୁଁ। ସେ ସଜା କୋ କଠୋର
କହତେ ହୁଁ ଓ ଅପରାଧ କି ଗଂଭୀରତା କି ଉପେକ୍ଷା କରତେ ହୁଁ।

ଯଦି ସେ ଦଣ୍ଡ କି ସାଥ ଅପରାଧ କି ତୁଲନା କରୁଁ, ତୋ ଇନ ଶର୍ଇ ଦଣ୍ଡୋଁ ମେଁ ନ୍ୟାୟ ପର ଆଧାରିତ ପାଂଗେ ଓ ଓ
ଉନକୋ ଇନ ଦଣ୍ଡୋଁ କା ଅପରାଧୋଁ କି ସମାନ ହୋବା କା ଯକ୍ରିନ ହୋ ଜାଏଗା। ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଚୋର କି କାମ
କୋ ଦେଖେ, ସହ ଅନ୍ଧେରେ ମେଁ ଚୁପ-ଚୁପାକର ଚଲତା ହୁଁ, ତାଲା ତୋଡିତା ହୁଁ, ହତ୍ଥିୟାର ଲହରାତା ହୁଁ ଓ ଅମନ ସେ ରହ
ରହେ ଲୋଗୋଁ କୋ ଡରାତା ହୁଁ। ସହ ଘରୋଁ କି ସମ୍ମାନ କୋ ପାମାଲ କରତା ହୁଁ, ଜୋ ମୁକାବଲା କରତା ହୁଁ ଓ ସକି ହତ୍ୟା
କରିବା ପର ଉତର ଆତା ହୁଁ ଓ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମେଁ ହତ୍ୟା କା ଅପରାଧ କର ଡାଲତା ହୁଁ, ତାକି ଅପନି ଚୋରି
ପୁରି କର ସକେ ଓ ଓସକି ବାଦ ଆରାମ ସେ ଭାଗ ସକେ। ସହ ବିନା କିସି ଅନ୍ତର କି ହତ୍ୟା କରତା ହୁଁ। ଜବ ହମ
ଚୋର କି ଇନ କାଲେ କରତୁତୋଁ ପର ବିଚାର କରତେ ହୁଁ, ତୋ ଶରୀୟତ କି ଦଣ୍ଡୋଁ କି ସକ୍ଷ୍ଟି ମେଁ ଚୁପି ମସଲହତ କୋ
ଜାନ ଜାତେ ହୁଁ।

ଯହି ସ୍ଥିତି ଦୁସରେ ଦଣ୍ଡୋଁ କି ହୁଁ। ହମେଁ ଅପରାଧୋଁ ଓ ଓନମେଁ ଜୋ ଖତରେ, ନୁକ୍ସାନ, ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଆକ୍ରାମକତା
ହୁଁ, ଓନମେଁ ବିଚାର କରନା ଚାହିଏ, ତାକି ହମେଁ ବିଶ୍ଵାସ ହୋ ଜାଏ କି ଅଲ୍ଲାହ ନେ ହର ଅପରାଧ କି ଲିଏ ଉଚିତ
ଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିଆ ହୁଁ ଓ ବଦଲା ମି କର୍ମ କି କୋଟି କା ହି ରଖା ହୁଁ।

"ଓ ଓ ଆପକା ରବ କିସି ପର ଅତ୍ୟାଚାର ନହିଁ କରତା।" [180] ****

ଇସ୍ଲାମ ନେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ସେ ପହଲେ ଶିକ୍ଷା ଓ ବଚାବ କି ଓସେ ତରୀକେ ପେଶ କିଏ ହୁଁ, ଜୋ
ଅପରାଧିୟୋଁ କୋ ଅପରାଧ ସେ ଦୂର ରଖିବା କି ଲିଏ ପର୍ଯାପ୍ତ ହୁଁ, ଯଦି ଓନକି ପାସ ସମଜ୍ଞନେ ବାଲେ ଦିଲ ଓ ଦୟା
କରିବା ବାଲି ଆତ୍ମାଂ ହୁଁ। ଫିର ଶରୀୟତ ଓସ ସମୟ ତକ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ ନହିଁ କରତୀ ହୁଁ, ଜବ ତକ ଯହ ଗାରଣି
ନହିଁ ମିଲ ଜାତୀ ହୁଁ କି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନେ ଜୋ ଅପରାଧ କିଆ ହୁଁ, ସହ ବିନା କିସି ଓଚିତ୍ୟ ଓ ବିନା

किसी मजबूरी के किया है। इन सब के बावजूद उसका अपराध करना उसके सबसे अलग होने और सज़ा का हक़दार होने का प्रमाण है।

इस्लाम ने न्याय के साथ दौलत को बांटने का काम किया है और अमीरों के धनों में ग़रीबों के लिए एक निर्धारित भाग रखा है। पत्नी एवं रिश्तेदारों पर खर्च को वाजिब किया है। मेहमान का सम्मान एवं पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया है। राज्य को ज़िम्मेदार बनाया है कि वह अपने लोगों की तमाम ज़रूरतें जैसा कि खाने, पहनने और रहने की ज़रूरत आदि इस तरह पूरी करे कि लोग एक सम्माननीय जीवन गुज़ार सकें। इसी प्रकार राज्य अपने नागरिकों में से सशक्त व्यक्तियों के लिए सम्माननीय काम के दरवाज़े खोले, हर शक्ति वाले को उसकी शक्ति के अनुसार काम करने का अवसर प्रदान करे और बराबर के अवसर सभी को उपलब्ध कराए।

मान लें कि एक व्यक्ति अपने घर लौटे और पाए कि किसी व्यक्ति के हाथों चोरी के उद्देश्य से या प्रतिशोध के तौर पर उसके परिवार के सदस्यों की हत्या हो गई है। फिर सरकारी अधिकारी आएँ और अपराधी को गिरफ्तार करके एक निश्चित अवधि के लिए -चाहे वह लंबी हो या छोटी- कारावास में बंद कर दे। वह वहां खाए और जेल में मौजूद उन सेवाओं का लाभ उठाए, जिनको उपलब्ध कराने में खुद पीड़ित व्यक्ति स्वयं कर चुकाकर अपना योगदान दे रहा होता है।

तो ऐसी स्थिति में उस पीड़ित व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होगी? वह अंत में या तो पागल हो जाएगा या फिर अपना दर्द भूलने के लिए नशे का आदी हो जाएगा। यदि यही स्थिति किसी ऐसे देश में उत्पन्न हो, जहाँ इस्लामी शरीयत लागू हो, तो अधिकारी अलग तरह से कार्रवाई करेंगे। इस अपराधी को पीड़ितों के परिवार के पास लाया जाएगा, ताकि वे उस अपराधी के संबंध में निर्णय लें कि उसके साथ क्या करना है? वे या तो प्रतिशोध लें, जो बिल्कुल न्याय है या दियत पर राज़ी हो जाएँ, जो कि एक आज़ाद व्यक्ति की हत्या की कीमत है या फिर क्षमा कर दें और क्षमा कर देना ही उत्तम है।

"और यदि तुम माफ़ करो तथा दरगुज़र करो और क्षमा कर दो, तो निःसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील, अत्यंत दयावान् है।" [181] [सूरा अल-तगाबुन : 14]

इस्लामी शरीयत का हर अध्ययन करने वाला इस तथ्य को जानता है कि हुदूद प्रतिशोध या हुदूद को लागू करने की इच्छा के आधार पर किए जाने वाले कार्य से अधिक एक निवारक शैक्षिक पद्धति है।

उदाहरण स्वरूप :

सज़ा देने से पहले सावधान एवं सतर्क रहना, बहाने तलाशना और संदेह को दूर करना आवश्यक है। क्योंकि अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- की हदीस है : "शरई दंडों को संदेहों के द्वारा टाल दिया करो।"

जिसने ग़लती की और अल्लाह ने उसको छुपा लिया, लोगों के सामने उसके गुनाह को जाहिर नहीं किया, उसपर कोई दंड नहीं है। यह इस्लामी शिक्षा नहीं है कि लोगों की गुप्त बातों के पीछे पड़ा

जाए एवं उनकी जासूसी की जाए।

पीड़ित का अपराधी को माफ़ कर देना दंड को रोक देता है।

"फिर जिसे उसके भाई की ओर से कुछ भी क्षमा[96] कर दिया जाए, तो ऐसे में सामान्य रीति के अनुसार (क्रातिल का) अनुसरण करना चाहिए और भले तरीके से उसके पास पहुँचा देना चाहिए। यह तुम्हारे पालनहार की ओर से एक प्रकार की सुविधा तथा एक दया है।" [182] [सूरा अल-बकरा : 178]

यह अनिवार्य है कि अपराधी ने अपनी इच्छा से अपराध किया हो और उसे मजबूर न किया गया हो। मजबूर पर हद लागू नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है :

"मेरी उम्मत के लिए ग़लती से, याद न रहने के कारण और मजबूरी में किए गए गुनाहों को माफ़ कर दिया गया है।" [183] [यह हदीस सहीह है।]

शर्ई दंड जैसा कि हत्यारे की हत्या, व्यभिचारी को संगसार करना, चोर का हाथ काटना इत्यादि, जिसे क्रूरता और बर्बरता बताया जाता है, इसे सख्त करने की हिकमत यह है कि इन अपराधों को बिगाड़ की जननी माना जाता है। इनमें से हर अपराध पांच प्रमुख हितों (धर्म, जान, माल, वंश, बुद्धि) में से एक या अधिक पर हमला करता है, जिनकी सुरक्षा एवं हिफ़ाज़त की अनिवार्यता पर सभी शरीयतों एवं मानव निर्मित क़ानूनों ने हर युग में सहमति जताई है। क्योंकि इनके बिना जीवन सुचारु रूप से नहीं चल सकता है।

इसी कारण से मुनासिब है कि इनमें से किसी अपराध को अंजाम देने वाले पर सख्त दंड लागू किया जाए, ताकि उसके लिए फटकार एवं दूसरे के लिए रोक हो।

इस्लामी तरीक़ा को समग्र रूप से लिया जाना ज़रूरी है और इस्लामी हुदूद को इस्लाम की शिक्षाओं से अलग करके लागू नहीं किया जा सकता है, विशेषकर जो आर्थिक और सामाजिक तरीक़े से संबंधित है। धर्म की सही शिक्षाओं से लोगों की दूरी ही कुछ लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। यही वह बड़े अपराध हैं, जो इस्लामी क़ानून को लागू न करने वाले कई देशों को तबाह कर रहे हैं, हालांकि उनके पास सभी क्षमताएँ एवं संभावनाएँ उपलब्ध हैं, जो उन्हें तकनीकी प्रगति प्रदान करती हैं।

पवित्र कुरआन में आयतों की संख्या 6348 है, जबकि हुदूद की आयतों की संख्या दस से अधिक नहीं है, जो तत्वज्ञ एवं हर चीज़ की ख़बर रखने वाले अल्लाह की तरफ से बड़ी हिकमत के साथ उतारी गई हैं। क्या कोई व्यक्ति केवल इन दस आयतों में छिपी हिकमत से अज्ञानता के कारण इस महान पद्धति को पढ़ने एवं उसे लागू करने के आनंद लेने का अवसर खो देगा, जिसे बहुत-से गैर-मुस्लिम अद्वितीय मानते हैं।

ඉස්ලාමය පිළිබඳ ප්රශ්න හා පිළිතුරු

විද්‍යාලය: www.edc.kw

විද්‍යාලය: www.edc.kw

විද්‍යාලය 18 වන වන විද්‍යාලය 2025 03:13:27